

प्रेसनोट दिनांक 12.04.2021

1. दिनांक 11.04.21 को वादी उ0नि0 श्री रजनीश कुमार पाण्डेय थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रकाश यादव पुत्र गौरी शंकर यादव नि0 धनेश कुण्ड थाना रा0ज0भू0 अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 198/21 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 11.04.21 को वादी श्री गजेन्द्र सिंह पुत्र राम सुमेर सिंह नि0 21 सौड़ा थाना रायपुर जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपीई 16टी 5991 ट्रक का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के वाहन एमएच 47एबी 5582 में टक्कर मार देना जिससे वादी को चोटे आना व वाहन क्षतिग्रस्त हो जाना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 166/21 धारा 279, 337, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 11.04.21 को वादी उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार सिंह थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रधान पद प्रत्याशी बबलू सिंह पुत्र विनय कुमार सिंह नि0 ड्योढी बाजार थाना रौनाही अयोध्या व 30-40 अन्य समर्थक नाम पता अज्ञात अभि0गण द्वारा बिना अनुमति के रैली निकालना व सार्वजनिक सभा कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना जिससे महामारी फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 167/21 धारा 188, 171एच, 269 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 11.04.21 को वादी श्री मस्तराम पुत्र राम जियावन नि0 गौरा ब्रम्हनान थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमन कुमार पुत्र राम नरेश नि0 गौरा ब्रम्हनान थाना रौनाही अयोध्या व उसका चाचा अभि0 अमन द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के पुत्र सार्थक उर्फ मयंक को टक्कर मारकर गम्भीर रूप से घायल कर देना व अभि0 के चाचा द्वारा गाली व जान माल की धमकी देते हुए कार का शीशा तोड़ देना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 168/21 धारा 279, 337, 338, 427, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 11.04.21 को वादी उ0नि0 श्री दिवाकर कुमार थाना हैदरगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सालिक राम नि0 उमरनी बेला थाना हैदरगंज अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 550 ग्राम गोंजा नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 90/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 11.04.21 को वादी उ0नि0 श्री शशिकान्त पाण्डेय थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जिला पंचायत पद प्रत्याशी राम स्वरूप फौजाबादी पुत्र राम नरायन नि0 हुसैनपुर थाना तारून अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा बिना अनुमति के बोलेरो पर झण्डा व पोस्टर लगाकर प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 90/21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 11.04.21 को वादी उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जिला पंचायत पद प्रत्याशी राम स्वरूप फौजाबादी पुत्र राम नरायन नि0 हुसैनपुर थाना तारून अयोध्या आदि 02 नफर अभि0गण द्वारा बिना अनुमति के बोलेरो पर झण्डा व पोस्टर लगाकर प्रचार कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करना। जिसके संबंध में थाना तारून में मु0अ0सं0 91/21 धारा 188, 171एच भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 11.04.21 को वादी उ0नि0 श्री राम अवतार राम थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि नन्हेलाल पुत्र भरथरी नि0 पारा ताजपुर थाना इनायतनगर अयोध्या आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा नौटंकी का आयोजन कर भीड़ एकत्र करना जिससे महामारी फैलने की सम्भावना होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 176/21 धारा 188 भादवि व 3 महामारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 11.04.21 को वादी श्री श्रीचन्द्र पुत्र राम पियारे नि0 कस्बा कुमारगंज थाना कुमारगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात वाहन चालक वाहन चालक द्वारा तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी की पत्नी रामपती को टक्कर मार देना जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाना। जिसके संबंध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 133/21 धारा 279, 304ए भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

10. दिनांक 11.04.21 को वादी उ०नि० श्री कर्मवीर सिंह थाना मवई अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रदीप निषाद पुत्र राम दास निषाद नि० रसूलपुर कुशहरी थाना मवई अयोध्या गिरा अभियुक्त के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 97/21 धारा 60(2) आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।